भारत सरकार
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 228
उत्तर देने की तारीख 18 नवंबर, 2019

अजा/अजजा के लिए कौशल विकास

228. श्री दयाकर पसुनूरीः श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या कौशल विकास और उद्‌यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई परियोजना कार्यान्वित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा इससे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय कुशल भारत मिशन के अंतर्गत देश में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित एक करोड़ व्यक्तियों को कौशलीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक महत्वाकांक्षी स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का कार्यान्वयन देश भर में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। महिलाओं, दिव्यांगों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए स्कीम में अन्य के अलावा तैनाती बाद सहायता, परिवहन भत्ता, सहयोग सहायता, भोजन तथा आवास (जहां लागू हो) के लिए भुगतान करने का प्रावधान है।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के दो घटक हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संचालित केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) द्वारा संचालित केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक (सीएसएसएम), जिसे आमतौर पर पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य प्रबंधित घटक के नाम से जाना जाता है, कहलाते हैं।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत 11.11.2019 तक कुल 5034.33 करोड़ रुपए की धनराशि सीएससीएम घटक के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी (अर्थात एनएसडीसी) को संवितरित की गई है, जबकि कुल 808.96 करोड़ रुपए की धनराशि सीएसएसएम घटक के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/एसएसडीएम को संवितरित की गई है। इस धनराशि में से 16.6% तथा 8.60% का आवंटन क्रमश: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। इससे, पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमश: कुल 9,28,884 तथा 2,69,054 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

****